



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 फाल्गुन 1942 (श10)

(सं0 पटना 127) पटना, मंगलवार, 23 फरवरी 2021

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

18 फरवरी 2021

बिहार नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2021

सं0-01/स्था0 (का0पदा0)-06/2019 122 ।- भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल "बिहार नगरपालिका सेवा का गठन और उसमें भर्ती की पद्धति तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

अध्याय - 1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ । -

- (i) यह नियमावली "बिहार नगरपालिका सेवा नियमावली, 2021" कही जा सकेगी।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (iii) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ।- जब तक इस विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई अन्यथा न हो, इस नियमावली के प्रयोजन हेतु ।-

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007;
- (ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, बिहार लोक सेवा आयोग;
- (ग) "उपाधि" से अभिप्रेत है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि;
- (घ) "निदेशक" से अभिप्रेत है, बिहार के स्थानीय निकायों के निदेशक;
- (ङ) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है, बिहार के राज्यपाल;
- (च) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, बिहार के राज्यपाल;
- (छ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, बिहार की राज्य सरकार;
- (ज) "नगरपालिका" से अभिप्रेत है, एक स्वायत्तशासी संस्था और इसमें शामिल हैं नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत;
- (झ) "वर्ष" से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि;

- (ज) "वर्ष के अंदर रिक्ति" से अभिप्रेत है, सेवा में नये पदों के सृजन, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, सेवा से हटाये जाने और पदच्युत किये जाने में उपलब्ध रिक्ति;
- (ट) "विभाग" से अभिप्रेत है, नगर विकास एवं आवास विभाग;
- (ठ) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा समय-समय पर गठित विभागीय प्रोन्नति समिति;
- (ड) "सेवा" से अभिप्रेत है, बिहार नगरपालिका सेवा;
- (ढ) "सेवा का सदस्य" से अभिप्रेत है, इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन "बिहार नगरपालिका सेवा" में नियुक्त एवं शामिल व्यक्ति;
- (ण) "संवर्ग" से अभिप्रेत है, बिहार नगरपालिका सेवा संवर्ग;
- (त) "संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार" से अभिप्रेत है, "प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग"।
- (थ) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों से वही अभिप्रेत होगा जो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 तथा इसके अध्यक्षीन बनाई गई नियमावली में उनके प्रति समनुदेशित किये गये हों,
3. सेवा की संरचना।—
- (क) सेवा की संरचना निम्नवत् होगी :—

| क्रम सं० | पद का नाम                                                                                                                                   | प्रास्थिति             | अभ्युक्ति |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| 1.       | मूल कोटि—<br>(क) नगर कार्यपालक पदाधिकारी<br>(ख) प्राधिकार के सचिव।                                                                          | मूल कोटि               | राजपत्रित |
| 2.       | (क) नगरपालिका सचिव<br>(ख) उप नगर आयुक्त<br>(ग) परियोजना पदाधिकारी—सह—उप निदेशक,<br>(घ) प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी,<br>(ङ) भू—सम्पदा पदाधिकारी। | प्रथम प्रोन्नति स्तर   | राजपत्रित |
| 3.       | (क) अपर नगर आयुक्त,<br>(ख) परियोजना पदाधिकारी—सह—अपर निदेशक,<br>(ग) संयुक्त नगर आयुक्त।                                                     | द्वितीय प्रोन्नति स्तर | राजपत्रित |
| 4.       | (क) नगर आयुक्त                                                                                                                              | तृतीय प्रोन्नति स्तर   | राजपत्रित |

- (ख) सेवा के विभिन्न कोटि के पदों की संख्या वही होगी, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित/संशोधित किया जाय
- (ग) सेवा के विभिन्न कोटि के पदों का वेतन ग्रेड/वेतन स्तर वही होगा जैसा समय-समय पर वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।

#### अध्याय - 2

4. रिक्तियों की अवधारणा एवं आयोग को इसकी सूचना।— सरकार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक सेवा में नियुक्ति हेतु रिक्तियाँ निर्धारित करेगी तथा इसकी सूचना आयोग को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक उपलब्ध करायेगी।

5. आरक्षण।— इस सेवा में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर प्रवृत्त आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू रहेंगे।

6. उम्र सीमा।— सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के एक अगस्त को इक्कीस वर्ष से कम नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

7. कालावधि।—सेवा के विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि वही होगी, जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

8. नियुक्ति/प्रोन्नति।—

(क) नियुक्ति।—

- (i) मूल कोटि में नियुक्ति सीधी भर्ती से आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल एवं अनुशंसा के आधार पर किया जायेगा।
- (ii) आवेदक को किसी परिणियत (स्टैटुटरी) विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि (डिग्री) धारण करना आवश्यक होगा अथवा उसे ऐसी अन्य अर्हताएँ रखना आवश्यक होगा जिन्हें राज्यपाल उस विषय पर उक्त उपाधियों के समकक्ष घोषित करें।

(iii) विभिन्न नगर निकायों/बिहार शहरी आयोजना क्षेत्र प्राधिकार में संवर्ग के मूल पदों पर प्रथम पदस्थापन होगा।

(iv) जबतक इस संवर्ग में नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती है, तबतक के लिए राज्य सरकार विहित पदों पर रिक्तियों को भरने के लिए अंतरिम व्यवस्था कर सकेगी। नियमित नियुक्ति होने पर यह अंतरिम व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(ख) प्रोन्नति :-

(i) प्रथम प्रोन्नति ग्रेड के पदों को संवर्ग के मूल पदों के पदाधिकारियों से जो, केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो तथा सेवा में संपुष्ट हो, विहित पद सोपान के अनुसार प्रोन्नति कर पदस्थापित किया जा सकेगा, जो विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर अवधारित होगा।

(ii) **द्वितीय/तृतीय प्रोन्नति पदक्रम (ग्रेड) :-** द्वितीय/तृतीय प्रोन्नति पदक्रम (ग्रेड) प्रोन्नति पदक्रम के पदों को वरीयता- सह-योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

9. **विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना एवं कार्य :-** विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना विभाग द्वारा अलग से निर्धारित एवं संसूचित की जायेगी।

### अध्याय - 3

#### परिवीक्षा, प्रशिक्षण एवं संपुष्टि

10. **परिवीक्षा :-**

(क) मौलिक रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्त होनेवाला प्रत्येक पदाधिकारी पद ग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।

(ख) परिवीक्षा अवधि पूरी करने पर पदाधिकारी का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर, सरकार परिवीक्षा अवधि और एक वर्ष बढ़ा सकेगी, यदि प्रतीत हो कि आचरण एवं सेवा में सुधार की संभावना है। बढ़ाई गई अवधि में भी आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(ग) नियुक्ति के बाद प्रथम वेतन वृद्धि के पश्चात अगली वेतन वृद्धि तभी मिलेगी, जब विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली जाय।

11. **प्रशिक्षण :-** सेवा में प्रविष्टि के बाद प्रशिक्षण अवधि एवं विधि सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित रीति के अनुसार अवधारित की जाएगी। बिहार लोक प्रशासन एवं नगरीय विकास अकादमी का गठन होने के उपरान्त प्रशिक्षण संबंधी सभी कार्य उक्त संस्था के द्वारा संपादित होगी।

12. **विभागीय परीक्षा :-** मूल कोटि के पदाधिकारियों के लिए केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित विषयों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित विषयों से संबंधित समय-समय पर आयोजित होने वाले विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी।

13. **सम्पुष्टि :-** परिवीक्ष्यमान रूप में नियुक्त पदाधिकारी परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर निम्नांकित शर्तों के अधीन सेवा में सम्पुष्टि का पात्र होगा :-

(क) विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लिया हो,

(ख) समय-समय पर निर्धारित विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और प्रशिक्षण के अंत में यदि परीक्षा हो, तो उसमें उत्तीर्ण हो चुका हो, एवं

(ग) परिक्ष्यमान अवधि में उसका आचरण एवं सेवा संतोषजनक रहा हो।

### अध्याय - 4

#### वेतन एवं वरीयता

14. **वरीयता :-** इस सेवा के सदस्यों की वरीयता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर निर्धारित सिद्धांतों एवं प्रक्रिया के अनुसार होगा।

### अध्याय - 5

#### अन्यान्य

15. **विनियम बनाने की शक्ति :-** इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकतानुसार विभाग विनियमावली बना सकेगा।

16. **विसंगतियों/शंकाओं का निराकरण :-** इस नियमावली के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित सभी विसंगतियों/शंकाओं के निराकरण की शक्ति राज्य सरकार में निहित होंगे।

17. **अवशिष्ट मामले :-** जो विषय अथवा बिन्दु इस नियमावली में समाहित नहीं है उनके संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक संहिता/नियमावली/संकल्प/निर्देश में किए गए प्रावधान इस सेवा के संदर्भ में लागू होंगे।

18. **निरसन एवं व्यावृत्ति**।— इस नियमावली के पूर्व निर्गत तत्संबंधी सभी नियमावली/निर्देश आदि एतद् द्वारा निरसित समझे जायेंगे। ऐसे निरसन के बावजूद प्रारंभिक नियमावली/निर्देश आदि के तहत किए गए कार्य एवं की गई कार्रवाई इस नियमावली के तहत किए गए कार्य समझे जायेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
आनन्द किशोर,  
सरकार के प्रधान सचिव।

#### 18 फरवरी 2021

सं० 01/स्था० (का०पदा०)—06/2019 **122**/न०वि०एवंआ०वि०।—“बिहार नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली-2021” का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
आनन्द किशोर,  
सरकार के प्रधान सचिव।

#### *The 18th February 2021*

No. 01/स्था० (का०पदा०)—06/2019—**122**—In exercise of powers vested under Article 309 of Indian constitution, Governor of Bihar is pleased to make following rule in respect of formation of Bihar Municipal Service cadre, process of recruitment and to regulate service conditions therein:-

### CHAPTER-1

#### 1. *Short title, extent and commencement:*

- (i) This Rule may be called the “Bihar Municipal Service Rule, 2021”.
- (ii) It shall extend to whole of the State of Bihar.
- (iii) It shall come into force from the date of its Publication in the Official Gazette.

2. *Definitions:—In this Rule, unless the context otherwise requires for the purpose of this rule.*

- (a) “**Act**” means Bihar Municipal Act, 2007.
- (b) “**Commission**” means Bihar Public Service Commission.
- (c) “**Degree**” means bachelor degree from recognized university.
- (d) “**Director**” means director of local bodies of Bihar.
- (e) “**Appointing Authority**” means the governor of Bihar.
- (f) “**Governor**” means the Governor of Bihar.
- (g) “**State Government**” means the state government of Bihar.
- (h) “**Municipality**” means an autonomous body and it includes Municipal Corporation, Municipal Council and Nagar Panchayat.
- (i) “**Year**” means financial year i.e., period from 1<sup>st</sup> April to 31<sup>st</sup> March of the following year.
- (j) “**Vacancy within the year**” means creation of new post in service, vacancy available on removal from service, retirement and death.
- (k) “**Department**” means Urban Development and Housing Department.
- (l) “**Departmental Promotion Committee**” means Departmental Promotion Committee Constituted from time to time by the government.
- (m) “**Service**” means Bihar Municipal Service.
- (n) “**Member of Service**” means a person appointed and included in Bihar Municipal Service under the provision of this rule.
- (o) “**Cadre**” means Bihar Municipal Service cadre.

- (p) "**Cadre Controlling Authority**" means Principal Secretary/Secretary, urban Development and Housing Department.
- (q) The undefined words and expressions used in this rule shall mean the same as in the Bihar Municipal Act, 2007 and the rules made there under.

**3. Structure of Service:**

(A) The structure of service will be as follows:-

| Sl. No. | Name of Post                                                                                                                           | Status                 | Remarks  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| 1.      | <b>Basic Grade:-</b><br>(a) Municipal Executive officer.<br>(b) Secretary of Authority.                                                | Basic Grade            | Gazetted |
| 2.      | (a) Municipal Secretary.<br>(b) Deputy Municipal Commissioner.<br>(c) Project Officer cum deputy Director.<br>(d) Procurement Officer. | First Promotion Level  | Gazetted |
| 3.      | (a) Additional Municipal Commissioner.<br>(b) Project Officer cum Additional Director.<br>(c) Joint Municipal Commissioner.            | Second Promotion Level | Gazetted |
| 4.      | (a) Municipal Commissioner.                                                                                                            | Third Promotion Level  | Gazetted |

- (B) The number of Posts under different categories of service will be the same as to be determined /modified from time to time by the Government.
- (C) The Grade Pay/Pay Level of various categories of service will be the same as fixed by the Finance Department, Government of Bihar from time to time.

**CHAPTER-2**

**4. Concept of Vacancy and its Information to the Commission.**—The government will determine the vacancies for the appointment in the service by 31<sup>st</sup> March every year and its information will be made available to the Commission by 30<sup>th</sup> April every year.

**5. Reservation.**—Provisions related to reservation inforce from time to time by the General Administration Department, Government of Bihar will be applicable in the appointment and promotion in this service.

**6. Age Limit.**—The minimum age of the candidates for direct recruitment must shall not be less than 21 years as on 1<sup>st</sup> August of the year during which applications for recruitment are invited. The maximum age of the candidate will be the same as determined by the General Administration Department, Government of Bihar from time to time.

**7. Tenure (Period) .**—For promotion in various grades of service minimum period shall be the same as determined by the General Administration Department, Government of Bihar from time to time.

**8. Appointment/Promotion:**

(a) **Appointment-**

- (i) Appointment in basic grade will be made on the basis of result of Combined Competitive Examination conducted by Commission and its recommendation.

- (ii) The applicant shall be required to hold a Bachelor's degree from any statutory University or possess such other qualification as Governor may declare equivalent to above degree on that subject.
- (iii) First posting will be made on the basic post of cadre in different Municipal bodies/ Bihar Urban Planning Area Authority.
- (iv) The State Government will make Interim arrangements to fill the vacancies on the prescribed posts until regular appointment in this cadre is made. This interim arrangement will automatically end on regular appointment.

**(b) Promotion-**

- (i) First promotional grade post will be filled by promotion from the officers of basic cadre post who have passed the departmental examination conducted by the Central Examination Committee, Board of Revenue Bihar, Patna and after confirmation in service, on the basis of recommendation of departmental promotion committee as per prescribed post level.

**(ii) Second/Third Promotional Level (Grade)-**

The post of Second/Third Promotional Level (Grade) post will be filled by promotion on the basis of seniority cum merit on recommendation of Departmental Promotional Committee.

**9. The Structure and function of the departmental Promotional Committee.**—The structure of Departmental Promotion Committee will be determined and notified separately by the department.

### **CHAPTER-3**

#### **Probation, Training and Confirmation**

**10. Probation.—**

- (a) Every officer appointed against the vacant basic post will be on probation for a Period of two years from the date of assuming the charge on the basic post.
- (b) On completion of the probation period, If the conduct and service of the officer found not satisfactory, the government may extend the probation period by one more year, If it appears that there is a possibility of improvement in conduct and service. If the conduct and service are not found to be satisfactory even during extended Period, service may be terminated.
- (c) After the first increment after appointment, the next increment will be admissible only after passing the prescribed departmental examination.\

**11. Training.**—After entry into the service, period and mode of training will be determined according to the manner prescribed by the Government from time to time. After formation of Bihar Public Administration and Urban Development Academy all training related work will be done by the said Institution.

**12. Departmental Examinations.**—For basic grade officers, passing in the departmental examinations conducted time to time in different subjects as prescribed by the Central Examination Committee, Board of Revenue Bihar and subjects prescribed by Government from time to time will be compulsory.

**13. Confirmation.**—On completion of probation period, Officer appointed on Probation will be eligible for confirmation in service on following conditions:-

- (a) Has passed the prescribed departmental examination,
- (b) Has completed the prescribed training from time to time and in the course of training, if there is an examination, then must have passed in it, and
- (c) His Conduct and service during the probation period should have been satisfactory.

#### CHAPTER-4

##### Salary and Gradation

**14. Gradation.**—Gradation of the member of this service will be determined according to the principle and procedure laid down by the General Administration Department Bihar, Patna from time to time.

#### CHAPTER-5

##### Others

**15. Power to make regulations.**—The department may make regulations as it may deem necessary for carrying out provisions of this rule effective.

**16. Resolution of Discrepancies/Doubts .**—The power to resolve all discrepancies/doubts in implementation of provisions of this rule will be vested in the State Government.

**17. Residual matters.**—In respect of the subject or point not contained in this rule, the provisions made by the State Government in the relevant code/rules/resolutions/Instructions will be applicable in the context of this service.

**18. Repeal and Savings.**— All related rules/instructions etc. issued before this rule will be deemed repealed. Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said initial rules/instructions etc. shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this rule.

By order of the Governor of Bihar,  
ANAND KISHOR,  
Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 127-571+500-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>